

4  $\frac{6}{25}$

पत्रावली पेश। प्रार्थी व वकील प्रार्थी को  
बार-बार आवाज लगाई गई। बार-बार  
आवाज लगाने के पश्चात भी प्रार्थी  
व वकील प्रार्थी न्यायालय में हाजिर  
नहीं आये। अतः प्रार्थी का प्रार्थना  
पत्र अन्तर्गत धारा 212 रीति अन्वय  
हाजरी अन्वय परी में खारीब किया  
जाता है। पत्रावली फ़ैसल नुमा  
होकर नम्बर से कम होकर दायित्व  
दफ़तर हो।

~~Signature~~  
उपखण्ड अधिकारी  
दातारामगढ़ (सीकर)